MR. CHAIRMAN: You put a question, I will get the answer. Next Question 145. (*Interruption*). No, that question is over. There has been such a long answer that there is nothing left to be asked in the supplementary. (*Interuption*).

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Some big industrial houses have moved into these areas, and if so, how many of them have moved?

MR. CHAIRMAN: All right. You will take note of it that some big industrial Houses have moved into these areas.

Measures for better and Speedy trial of Court Cases

*145. SHRI PRAMOD MAHAJAN:† SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) what measures were suggested for better and speedy trial of cases at the Conference of Chief Ministers, Chief Justices and Law Ministers held in 1985;

(b) what is the progress made so far concerning each suggestion, Statewise; and

(c) what are results thereof as far as common litigants are concerned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) The Conference of Chief Minister, Chief Justice and Law Ministers held on 31st August and 1st September, 1985 resolved unanimously that the arrears in all courts should be eliminated with the utmost speed. Statement of measures suggested in this regard as per the resolution is laid on the Table of the House. [*See* Appendix CXXXIX Annexure No. 36]

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Pramod Mahajan.

(b) Statement indicating the available State-wise progress is laid on the Table of the House. [*See* Appendix CXXXIX Annexure No. 37].

(c) It is not possible to quantify the results.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों विधि मंत्रियों तथा भारत के मुख्य न्याय मंत्रियों, संघ के विधि मंत्रियों और विधि राज्य मंत्री द्वारा इतने बड़े उच्च-स्तरीय सम्मेलन में बकाया मामलों को निपटाने के लिए जो सिफारिशें की गई हैं, उनमें से जो क्रमांक 6 की सिफारिश है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को अविलंब और विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए, भरा जाना चाहिए तथा पद रिक्त होने के पूर्व ही, परामर्श संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, इस संबंध में उच्च न्यायालयों में जब तक रिक्त पद होंगे तब तक स्वाभाविक रूप से न्याय में बिलंब होगा और न्याय में विलंब होना न्याय को नकारना है, इस सूक्ति की याद दिलाना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सारे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कितने पद रिक्त हैं, उच्च न्यायालयों, गवर्नरों और राज्य सरकारों की ओर से इन रिक्त पदों को भरे जाने के लिए कितनी सिफारिशें केन्द्र के पास आ चुकी हैं और केन्द्र इन पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

MR. CHAIRMAN: You will have another supplementary. If you go on asking a question for more than two minutes. I will have to deprive you of this opportunity.

श्री प्रमोद महाजन : मैं विशेष रूप से यह पूछना चाहूंगा कि कर्नाटक सरकार की ओर से 10 रिक्त पदों के लिए न्यायमूर्तियों के नाम केन्द्र के पास भेजे गए हैं, सारे देश में उन पर विवाद है यह कहा गया है कि जो नाम भेजे

हैं व मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, इसलिए शायद सरकार उन पर विचार कर रही है । मैं प्रार्थना करूंगा कि कर्नाटक के संबंध में क्या निर्णय किया ?

MR. CHAIRMAN: You please answer whether the Karnataka Government has sent recommendation for appointment.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, at present there are three vacancies. Some proposals were sent by the Government of Karnataka in consultation with the former Chief Justice. We received several representations from the Bar Association and other members of the Bar in which allegations, as pointed out by the hon. Member, were levelled. We are getting them examined by the incoming Chief Justice who will take over very shortly in Karanataka, and appointments will be made.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary. Only one minute.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इनका प्रश्न यह था कि सारे देश में उच्च न्यायालय मे कितनी रिक्तियां हैं ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Satya Prakash Malaviya will lose his right to put a supplementary.

श्री प्रमोद महाजन : प्रस्ताव सात में भारत सरकार की ओर से एक न्यायिक सुधार आयोग की चर्चा इस में है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस न्यायिक सुधार आयोग की स्थापना हो चुकी है अगर हुई है तो उसके क्या परिणाम होंगे और अगर नहीं हुई है तो उसकी स्थापना कब करने की सम्भावना है ?

श्री हंसराज भारद्वाज : न्यायिक सुधार का काम बड़े जोरों से चल रहा है । जस्टिस देसाई इसमें काम कर रहे हैं । इससे जो पहला ग्रास रूट न्यायिक सुधार देश में आना है उसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण पेपर तैयार किया है । उसे मैं सदन के पटल पर शीघ्र रखने जा रहा हूं ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, my supplementary arises out of the reply given by the hon. Minister to the original question which was amended by you. Sir, are we to understand that the hon. Minister himself did not make any allegations in regard to the appointment of judges in Karnataka and that all the allegations were made by the Bar Associations and other organisations?

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I am grateful to Vajpayeeji. As a matter of fact, I am privileged to answer this question to him so that he must know the correct situation. I was the Third speaker in that Bar Association meeting after Mr. Hegde. He has published his speech and it contains all the allegations, not against me... (*Interruptions*). Let me reply. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: If all interrupt (*Interruptions*)

श्री हंसराज भारद्वाज : अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सुनना चाहता हूं ।

SHRI H.R. BHARDWAJ: Sir, I must be given an opportunity. Vajpayeeji is a very respectable Member of this House and one of the national leader. He must know the facts. I had taken a prepared speech and there was nothing like that. It is the speech of Mr. Hegde which contains serious insinuations against the Chief Justice, the Judges of the Supreme Court and me personally. Sir,.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All of you will please sit down. Nothing will go on record. It is all interruptions. You cannot object to the Minister making his point. You will have an opportunity to put a question if there is time. Now, the Minister.

SHRI DIPEN GHOSH: On a point of order.

MR. CHAIRMAN: No point of order during Question Hour. (*Interruptions*).

SHRI H.R. BHARDWAJ: I have not completed my answer. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Question Hour over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पावर ट्रिलरों की कीमतों में वृद्धि

*143. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे किसानों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले पावर टिलरों की कीमत में वृद्धि के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) यदि हां, तो छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु सरकार ने इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार सम्बन्धित निर्माताओं को यह परामर्श देने का विचार रखती है अथवा उन्हें यह परामर्श दिया है कि वे पावरटिलरों की क्षमता बढ़ाएं और उनकी किस्म में सुधार करें जिससे कि उन्हें हर तरह की भूमि में प्रयोग मे लाने के योग्य बनाया जा सके और उनकी मरम्मत के लिए भी सुविधाएं मुहैया करावें, यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :

(क) जी, हां ।

(ख) पावर टिलरो के मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने पूर्ण रूप से निर्मित पावर टिलरों के उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है । पावर टिलरों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पुर्जो को भी उत्पादन शुल्क से छूट दे दी है ।

(ग) पावर टिलरों के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता 31,000 नग प्रति वर्ष है और अधिष्ठापित क्षमता 16,000 नग प्रति वर्ष है ।

वर्ष 1984-85 में उत्पादन 4219 नग था । इस प्रकार पर्याप्त क्षमता, पहले से ही उपलब्ध है । पावर टिलरों की समय-समय पर केन्द्रीय कृषि मशीन प्रशिक्षण और जांच संस्थान बुदनी (म० प्र०) में जांच की जाती है और इस जांच रिपोर्ट में बताए गए सुझावों के आधार पर, उत्पादकों की पावर टिलरों की किस्म में सुधार करने की सलाह दी जाती है । बिक्री के पश्चात् सेवा प्रदान करने के लिए पावर टिलरों के उत्पादकों द्वारा नियुक्त किए गए 130 डीलरो के माध्यम से किसानों की सेवा की जाती है ।

Amendment of Representation of the People Act

*146. SHRI KAILASH PATI MISHRA:

SHRI SHANKER SINGH VAGHELA:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether the Election Commission have recommended amendment to the Representation of the People Act, to prevent the use of places of worship for political and election purposes; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto and what steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir, amongst others, a recommendation to the effect that Represent-